



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124985

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19243/2026

संदीप

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : लव लेश कुमार वर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

कोर्ट नं. - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री लवलेश कुमार वर्मा की ओर से सुश्री संध्या वर्मा और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित कुमार दुबे को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 324 सन् 2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और पॉस्को एक्ट की धारा 3/4 के तहत; थाना टिंडावारी, जिला बांदा में सुनवाई चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है।
3. सबसे पहले, विद्वान एजीए ने बताया कि पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, हालांकि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है कि हालांकि आवेदक का नाम एफआईआर में है, लेकिन पीड़िता ने एफआईआर के आरोपों का समर्थन नहीं किया है और उसने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसने अपना घर अपनी मर्जी पर छोड़ दिया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि रेडियो-लॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की आयु 18 वर्ष है। आवेदक 13.3.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

6. एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने सूचनाकर्ता की बेटी को बहकाया गया था, हालांकि, पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और उसने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया था। रेडियो-लॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की आयु 18 वर्ष है।

7. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जो 2025** एसीसीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024** एसीसीसी ऑनलाइन एएलएल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस कोर्ट की जमानत देने से जुड़े दिशा निर्देशों को देखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **संदीप** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के सत्यापन के साथ-साथ जमानतदारों को संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश का पालन करते हुए इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को प्रेषित करें।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026